

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 53 /भू.उ. /01/11/नग्रानि/
प्रति

उज्जैन, दिनांक 7/11/2011

श्रीमती कावेरी बाई पति श्री बाबुलाल
73, चिमनगंज मण्डी
उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 07.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	कस्बा उज्जैन	1720	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं (45.0 मीटर)मार्ग

नोट:-

- 1 विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- 2 विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 3 उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- 4 प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- 5 इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A.W. Wallace
वास्तु मानचित्रकार 7/11/11
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन 12/11/11

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 211 / भू.उ./08/11/नग्रानि/
प्रति

उज्जैन, दिनांक 22/11/2011

श्री सुनिल पिता श्री रमेशचंद्र,
ग्राम सांवराखेडी,
तहसील उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 10.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम सांवराखेडी	139/1, 140/1	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर प्रालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A. W. Wang
22/11/11
वास्तु मानचित्रकार
वास्ते उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 212/भू.उ./04/11/नग्रानि/
पति

उज्जैन, दिनांक 22/11/2011

श्रीमती आशा बाई पति श्री रमेशचंद्र,
ग्राम सांवराखेडी,
तहसील उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 10.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम सांवराखेडी	139/2, 141/2 एवं 142	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A.W.Wing 22/11/11
वास्तु मानचित्रकार
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन 2011

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 213 / भू.उ. / 05 / 11 / नग्रानि /
प्रति

उज्जैन, दिनांक 22/11/2011

श्रीमती सुगन बाई पति श्री मुन्नालाल,
ग्राम सांवराखेडी,
तहसील उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 10.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम सांवराखेडी	134/2, 135/2/2, 135/3, 143/1, 143/2, 144	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा कियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A. W. Waring
वास्तु मानचित्रकार 22/11/11
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन J2 dlc

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 216 / भू.उ. / 03 / 11 / नग्रानि /
प्रति

उज्जैन, दिनांक 22/11/2011

श्री सोनू पिता श्री रमेशचंद्र,
ग्राम सांवराखेडी,
तहसील उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 10.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम सांवराखेडी	136 / 1, 137, 138 / 1, 138 / 2	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A. W. W. W. W.
वास्तु मानचित्रकार 22/11/11
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 231 / भू.उ./02/11/नग्रानि/
प्रति

उज्जैन, दिनांक 28/11/2011

श्री महेश कानडी,
1, अर्जुन नगर कालोनी,
उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 24.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम डेडिया	13/1	क्षिप्रा नदी का हरित क्षेत्र

नोट:-

- 1 विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- 2 विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 म.प्र. नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 3 उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- 4 प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- 5 इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A.W. Wary
वास्तु मानचित्रकार 28/11/11
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक 265 / भू.उ. / 03 / 11 / नग्रानि /
प्रति

उज्जैन, दिनांक 31/1/2011

श्री राजेन्द्र सोनी
202, नयापुरा
उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 27.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम मेडिया	35/1 एवं 168/1 169 164/4	कृषि मार्ग/कृषि मार्ग/कृषि

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 म.प्र. नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A.W. Wase
वास्तु मानचित्रकार
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

क्रमांक ३४५ / भू.उ. / 08 / 11 / नग्रानि /
प्रति

उज्जैन, दिनांक 14/2/2011

श्री राजेन्द्र सोनी,
2, साकेत नगर इन्दोर रोड,
उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 24.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम डेडिया	19/1/2	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक / क्षिप्रा नदी का हरित क्षेत्र

नोट:-

- 1 विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- 2 विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 म.प्र. नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 3 उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- 4 प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- 5 इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A. W. Wani
वास्तु मानचित्रकार 14/2/11
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25/2/2011

क्रमांक 484 / भू.उ. / 10 / 11 / नग्रानि /
प्रति

श्री रमेशचंद्र पिता भेरूलालजी
ग्राम सांवराखेडी,
तहसील उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 15.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना क्रमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम सांवराखेडी	135 / 1, 135 / 2 / 1, 135 / 4, 136 / 2,	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होगा।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A.W. Wasey
वास्तु मानचित्रकार 23/2/11
वास्ते उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन 12 o/c

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन

कमांक 485/भू.उ./9/11/नग्रानि/
प्रति

उज्जैन, दिनांक 25/2/2011

श्री मुन्नालाल पिता श्री भेरूलाल,
ग्राम सांवराखेडी,
तहसील उज्जैन

विषय :- उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग की जानकारी बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन-पत्र दिनांक 15.1.2011

-0-

शासन द्वारा अनुमोदित उज्जैन विकास योजना/परीक्षेत्र योजना कमांक अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है:-

कं.	ग्राम	खसरा कमांक	प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	ग्राम सांवराखेडी	134/1, 132, 133,	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक एवं मार्ग सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक एवं मार्ग व उद्यान

नोट:-

- विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा कियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भू-उपयोग श्रेणी में आ सकता है।
- विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदाय करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा दी जाना नहीं है, जिसके लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र.नगर पालिक (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम, नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग सम्मिलित हैं। जिनका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
- प्रश्नाधीन भूमि का यदि पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभिन्यास योजना स्वीकृत हो तो उक्त स्वीकृत अभिन्यास में उपदर्शित उपयोग ही मान्य होंगे।
- इस भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र को भू-व्यपवर्तन संबंधी अभिमत नहीं माना जावे।

A. W. Wave
वास्तु मानचित्रकार 23/2/11
वास्तु उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन o/c